तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अनोप चौधरी बनाम लो. सू. अ. (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील सं. 78/2017	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मते जारी हुए
25.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनोप चौधरी पता ग्राम कराणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.03.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत लोरड़ी देजगरा में संचालित दु.नं. 39 व 40 के अन्तर्गत समस्त खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हुए सभी परिवारों की सूची की सत्यापित प्रतिलिपी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 402 दिनांक 18.05.17 के प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयन संबंधित विकास अधिकारी एवं अपीलीय प्रावधान के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से होता है अतः इस संबंध में चयनित पात्र व्यक्तियों की सूचि संबंधित कार्यालय से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एफ 33(3)/रसद/सू.अ./2017/157 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा रजिस्टर्ड सूचित किया है । लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के सलंग्न कागजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को जिला रसद कार्यालय के पत्रांक एफ 33(3)/रसद/सू.अ./2017/157 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया उसके पश्चात् उस पत्र की प्रति दिनांक 04.05.17 को भी दिया गया उसके उपरान्त में भी प्रस्तुत अपील दिनांक 09.05.17 (06.05.17) में एक मात्र इस्तदुआ की गई कि एक माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपीलार्थी ने अपील में वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 157 दिनांक 27.03.2017 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।	